# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

**पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2625/III/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 12.6.2014 पारित व्दारा – तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र ग्वालियर – प्रकरण कमांक 167/II/2007 निगरानी**

भरत पुत्र भगवत लोधी
ग्राम डूडा तहसील टीकमगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---- आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन -----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

(अनावेदक की ओर से पेनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

## आ दे श

(आज दिनांक 14–8–2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य, म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 167/II/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार बड़ागॉव (धासन) ने प्रकरण कमांक 5 अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 2–7–2003 से ग्राम डूडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2431 एंव 2432 कुल किता 2 कुल रकबा 1.094 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर

भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदक के हित में व्यवस्थापित की । अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने कलेक्टर टीकमगढ़ को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि नायव तहसीलदार वृत्त बड़ागॉव (धासन) ने आवेदक के हित में नियम विरूद्व भूमि व्यवस्थापित है, जिस पर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 35/2003–04 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 9–8–2004 पारित किया तथा नायव तहसीलदार व्दारा आवेदक के हित में किया गया वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 287/अ–10/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–10–2006 से निगरानी निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 167/II/2007 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12.06.2014 से निरस्त की गई। इसी आदेश पर से यह पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक भूमिहीन कृषि श्रमिक है तथा नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के वर्ष 2002–03 के लगभग 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण चला आ रहा है एंव नायव तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि आवेदक के हित में राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियमों के अंतर्गत व्यवस्थापित नहीं की है अपितु उन्होंने मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापित की है, किन्तु तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति जाने बिना राजस्व पुस्तक परिपत्र के शासन निर्देशों का हवाला देकर निगरानी निरस्त करने में भूल की है और यह तथ्य उनसे दृष्टिओझल रहने की स्पष्ट देखी जाने वाली भूल है जिसे सुधारने में बैधानिक अड़चन नहीं है क्योंकि यदि आवेदक से वादग्रस्त भूमि वापिस ले ली गई, तो उसको परिवार के पालने की समस्या खड़ी हो जावे। आवेदक ने वादग्रस्त भूमि को

मेहनत करके, सिंचाई का साधन करके उन्नत कृषि योग्य बनाया हे जिसके कारण वह लिया गया कर्ज भी वह नहीं उतार पावेगा। उन्होंने उदार–रूख अपनाने की प्रार्थना कर वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन यथावत रखे जाने की मांग की। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त भूमि नियम विपरीत आवंटित की गई है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय ठीक हैं जिनमें हस्तक्षेप न करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि आवेदक ने वर्ष 2002–03 में तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर पिछले 30 वर्ष से अतिकमण करके खेती करते चले आने के आधार पर भूमि व्यवस्थापित करने की मांग की है अर्थात आवेदक वादग्रस्त भूमि पर लगभग सन् 1972–73 से कब्जा होकर खेती करता आ रहा है जैसाकि नायव तहसीलदार बड़ागॉव (धासन) ने प्रकरण कमांक 5 अ–19/2002–03 में जांच कर कब्जा प्रमाणित पाये जाने के आधार पर आदेश दिनांक 2–7–2003 से मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापित की है। कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 9–8–04 में निष्कर्ष दिया है कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2.10.1984 से कब्जा नहीं था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि बीच में देशराज लोधी को वृक्षारोपण हेतु दी गई थी। इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा होने के कारण एंव खेती करने के कारण देशराज लोधी ने कभी भी वृक्षारोपण कार्य नहीं किया अपितु उसके व्दारा भूमि कब्जा न मिलने से शासन को वापिस कर दी थी। यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर ध्यान दिया जाय तथा नायव तहसीलदार व्दारा आदेश में निकाले गये निष्कर्षो को देखा जाय, स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा निरन्तर रहने से किसी अन्य को आवंटित नहीं हो सकी, जिसके कारण आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1972–73 से कब्जा प्रमाणित पाये जाने के कारण भूमि व्यवथापित किया जाना परिलक्षित है किन्तु इन तथ्यों पर कलेक्टर, टीकमगढ़ एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने गौर नहीं किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ तत्का. सदस्य, म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 167/II/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल व्दारा जारी विभिन्न सरक्यूलर्स एंव माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 5—8—2002 से चरनोई भूमि के आवंटन पर रोक लगाई थी, के आधार पर निगरानी निरस्त की है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश वाद में निरस्त हो गया है। वादग्रस्त भूमि आवेदक को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—3 के नियमों के अंतर्गत अथवा मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग व्दारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अंतर्गत नहीं हुआ है जैसाकि तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 167/II/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 में विवेचित किया है अपितु आवेदक को वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत किया गया है जिसके कारण तत्का. सदस्य, म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 में नियमों के दृष्टि—ओझल की भूल होने से ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ नायव तहसीलदार ने आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर लगभग सन् 1972—73 से कब्जा प्रमाणित पाये जाने से आदेश दिनांक 2—7—2003 से भूमि का व्यवस्थापन किया। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय, आवेदक ने अकृषि योग्य भूमि श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुये उन्नत कृषि योग्य बनाया है, अधिक अन्न उपार्जन के लिये सिंचाई का साधन बनाया। तब क्या ऐसी भूमि को अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 1.5.2004 पर से 09 माह उपरांत स्वयमेव निगरानी में लेकर पुनः शासकीय घोषित करना उचित है ?

1. **2009 राजस्व निर्णय 251 इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन का न्यायिक दृष्टांत है कि " भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा—50 — जब किसी पक्षकार को भूमि का आवंटन किया गया — सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा**

**सकती। प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**

2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–50 – अत्याधिक समय व्यतीत होने से एकपक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पक्षकार के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो अधिकार उत्पन्न हुये हैं – अब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दि0 9.8.2004 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों की ओर न जाते हुये सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 4–10–06 पारित कर आवेदक की निगरानी निरस्त करने में भूल की है और न्यायालयीन प्रकरण कमांक 167/।।/2007 में आदेश दिनांक 12.06.14 पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों पर गौर नहीं किये जाने के कारण ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रहते हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालयीन प्रकरण कमांक 167/।।/2007 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक स्वमेव निगरानी कमांक 35/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2004 तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 287/अ–10/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–10–2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । परिणामतः नायव तहसीलदार बड़ागॉव (धासन) व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 2–7–2003 स्थिर रखते हुये पुनरावलोकन स्वीकार किया जाकर ग्राम डूडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2431 एंव 2432 कुल किता 2 कुल रकबा 1.094 हैक्टर पर आवेदक नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0क0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर